राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ.4(ां) / आ.कृ. / उर्वरक / 3 / 2017–18 / 1784-2034 दिनांकः 1/6/17

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ....
2. संयुक्त निदेशक कृषि, (विस्तार) खण्ड ....
3. परियोजना निदेशक, सीएडी कोटा।
4. उपनिदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद ....
5. उपनिदेशक कृषि (विस्तार), आईजीएनपी बीकानेर।
6. जिला विस्तार अधिकारी, सीएडी कोटा / सुल्तानपुर / बूंदी।
7. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) ....

विषयः राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एनएफएसएम–गेहूं, एनएफएसएम–दलहन अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्व सहायता / प्रदर्शन वर्ष 2017–18 के दिशा – निर्देश भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामान्यतया कृषकों द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग नहीं करने से फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। उत्पादन में वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एनएफएसएम–गेहूं, एनएफएसएम–दलहन योजनाओं के तहत खरीफ एवं रबी 2017–18 में विभिन्न फसलों हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व प्रयोग हेतु दिशा–निर्देश मय भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये जा रहे है।

अतः सलंग्न दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2017–18 के कार्यक्रम का शत–प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(विकास सीताराम जी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांकः एफ.4(ां) / आ.कृ. / उर्वरक / 3 / 2017–18 / 1784-2034 दिनांकः 1/6/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ठ सहायक कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. आयुक्त, जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर ....
5. निदेशक, उद्यान, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक कृषि, आदान / विस्तार / अनुसंधान।
7. संयुक्त निदेशक कृषि (गु0नि0 / योजना / आरकेवीवाई) मु0, जयपुर।
8. महाप्रबन्धक (कृषि आदान) राजफैड, जयपुर ....
9. एसीपी, मु0 जयपुर को भेजकर लेख है कि दिशा–निर्देशों की प्रति कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
10. समस्त सूक्ष्म पोषक तत्व निर्माता ....

31.5.17
(डॉ.आर.जी.शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)

वर्ष 2017–18 हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व सहायता एवं प्रदर्शन के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

प्रस्तावना

मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता व संतुलित उर्वरक उपयोग कृषि उत्पादन में गुणोत्तर वृद्धि के कारक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कृषि उत्पादन में महती उपयोगिता को देखते हुऐ भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,- एनएफएसएम–गेहूं, एनएफएसएम–दलहन योजना अन्तर्गत वित्तीय सहायता एवं प्रदर्शन आयोजित करने का प्रावधान किया है।

सामान्य निर्देश

1. मृदा भू–उर्वरकता सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर क्षेत्र/गांव का चयन किया जायेगा।

2. मृदा भू–उर्वरकता सर्वेक्षण प्रतिवेदन में अंकित सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी वाले गांवों में प्रत्येक खेत के लिये मृदा परीक्षण आवश्यक नहीं होगा। शेष गांवों में मृदा परीक्षण के आधार पर सूक्ष्म तत्व उर्वरकों का प्रयोग किया जावेंगा।

3. खडी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों के पर्णीय छिडकाव के लिये भी अनुदान देय होगा। पर्णीय छिडकाव के लिये फसल की वृद्धि स्टेजेज, सूक्ष्म पोषक तत्व/तत्वों की मात्रा एवं छिडकाव संख्या आदि की सिफारिश खण्डीय पैकेज ऑफ प्रक्टीस अथवा क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र की सिफारिश के आधार पर ली जावें।

(1) कृषक का चयन

सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन में सभी श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जा सकता है। योजना के तहत राज्य में जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कृषकों कों उनकी जनसंख्या के अनुपात में कमशः 17.80 व 13.50 प्रतिशत लाभान्वित किये जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कृषकों की जनसंख्या के आधार पर तथा महिला कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित करते हुए वितरण सुनिश्चित किया जावें।

(2) प्रकिया

(2.1) इच्छुक कृषक स्थानीय कृषि विभाग को प्रार्थना पत्र (परिशिष्ठ–द)प्रस्तुत करेगे जिसमें कृषक एवं खातेदार का नाम व पता, फसल का नाम व क्षेत्रफल जिसमें वांछित सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक/उर्वरकों का उपयोग किया जाना हो व कृषक का बैंक खाता संख्या मय बैंक की शाखा का नाम एंव आई.एफ.एस.सी. कोड लिखा हो।

(2.2) कृषि विभाग के स्थानीय कर्मी/अधिकारी के द्वारा, प्राप्त हुये आवेदनों का अंकन सूक्ष्म पोषक तत्व सहायता/प्रदर्शनों का पंजीकरण रजिस्टर (प्रपत्र–अ) में संधारण करना होगा।

(2.3) कृषि विभाग के स्थानीय कर्मी/अधिकारी के द्वारा कृषक के मूल आवेदन पत्र पर उपरोक्त प्रपत्र (रजिस्टर) की कम संख्या एवं सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक/उर्वरकों के नाम व मात्रा/मात्राऐं अंकित की जाकर सहकारी समिति के नाम अभिशंषित किया जावेगा।

(2.4) इच्छुक कृषक मूल प्रार्थना पत्र, जिस पर कृषि विभाग के स्थानीय कर्मी/अधिकारी की सिफारिश अंकित है, के आधार पर, 'सहकारी समिति को प्रस्तुत करेगें।

(2.5) संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद/उप, सहायक रजिस्ट्रार,सहकारी समितियां व व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति/ क्रय विक्रय सहकारी समिति एक बैठक आयोजित कर समितिवार सूक्ष्म पोषक तत्वों की मांग का विवरण तैयार करेंगे। यह मांग विवरण समिति संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म को उपलब्ध करायेंगी। जिसके अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति ग्राम सेवा सहकारी समिति/क्रय विक्रय सहकारी समिति पर की जावेगी।

(2.6) कृषि आदान यथा–सूक्ष्म पोषक तत्व की दरों का अनुमोदन विभाग द्वारा किया जा रहा है। आदानों की उपलब्धता एवं दरों के संबंध में दिशा निर्देश अलग से जारी किये जावेंगे।

(2.7) सहकारी समिति के द्वारा बिल तीन प्रतियों में काटे जायेंगे, जिन पर कृषक के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी लेने आवश्यक होंगे। बिल की दूसरी प्रति संबंधित कृषक को दी जावेगी तथा प्रथम मूल प्रति जिस पर कृषक के हस्ताक्षर होंगे, अनुदान क्लेम के प्रपत्र के साथ संलग्न की जावेगी। प्रत्येक बिल में सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक का बैच नम्बर इत्यादि अंकित करना आवश्यक होगा।

(2.8) संबंधित उप निदेशक कृषि जिला परिषद (विस्तार) /सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) के द्वारा निर्मातावार सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक का उपयोग का विवरण कृषि निदेशालय को प्रस्तुत करना होगा।

3. गुण नियंत्रण

(3.1) इस कार्यक्रम में अनुदान का भुगतान नमूनों के मानक पाये जाने पर ही किया जावेगा। संबंधित सहकारी समिति उनके यहॉ कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित निर्माता द्वारा उपलब्ध कराये गये सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरकों के प्रत्येक बैच की सूचना जिले के उप/सहायक निदेशक कृषि/जिला कृषि विस्तार अधिकारी, सी.ए.डी. को देगें ताकि नमूने लिये जा सके।

(3.2) राज्य में स्थापित समस्त राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं में समान रूप से उर्वरकों के नमूनें विश्लेषण हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें ताकि समय पर नमूनों के परिणाम प्राप्त हो सकें।

4. भुगतान संबंधी उपबंध

(4.1) संबंधित सहकारी समिति के द्वारा निम्न प्रपत्र–ब में अनुदान क्लेम तैयार कर संबंधित जिले के अधिकारी को देना होगा। इस प्रपत्र के साथ प्रत्येक कृषक का आवेदन पत्र एवं बिल की मूल प्रतियां संलग्न करनी होगी।

(4.2) संबंधित कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिये उपलब्ध करायी गयी सहायता का खेतों में निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन अपनी कार्य क्षमतानुसार करना होगा। सभी क्षेत्रीय अधिकारी सहायक/कृषि अधिकारी व सहायक/उप/संयुक्त निदेशक कृषि का पर्यवेक्षण कार्य में संयुक्त एवं व्यक्तिगत दायित्व होगा। वे आवश्यकतानुसार अपना कार्यक्रम सुनिश्चित करें ताकि सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिये उपलब्ध करायी गयी सहायता का सर्वेक्षण व भौतिक सत्यापन कार्य उनकी कार्य क्षमतानुसार किया जा सके।

(4.3) सूक्ष्म पोषक तत्व सहायता वितरण में जिले कें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कृषकों की जनसंख्या के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित की जावे। सीमान्त, लघु व अर्द्धमध्यम कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जावें। महिला कृषकों की 30 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जावें। जनजाति उपयोजना मद में आवंटित प्रदर्शन से दोनों अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र से बाहर रहने वाले अनुसूचित जनजाति कृषकों को भी लाभान्वित किया जावेगा।

(4.4) समस्त योजनाओं में सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन के परिणाम प्रपत्र–स में संकलित किये जावेगें।

(4.5) सहकारी संस्था द्वारा आदान वितरण के तत्काल पश्चात् आदानों के बिल पूर्ण रूप से पूर्ति की जाकर संबंधित उप/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) को प्रस्तुत किये जायेंगे। संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सहकारी संस्था से बिल प्राप्त होने के एक माह की अवधि में कोषालय प्रस्तुत किया जाकर भुगतान की कार्यवाही की जायेंगी। जिले के उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्तित प्रत्येक बैच के नमूनें मानक आने पर ही भुगतान किया जायेंगा। यदि किसी मद में आवश्यक बजट उपलब्ध नही हो तो संयुक्त निदेशक कृषि (आदान), मु0 जयपुर को अविलम्ब सूचित किया जायेंगा। बजट आवंटन होने के पश्चात् जिलों द्वारा बिना किसी ठोस कारण से बजट के उपभोग नही करने की दशा में मुख्यालय द्वारा बजट वापस लिया जाकर अन्यंत्र मांग वाले जिलों को आवंटित कर दिया जायेंगा।

(5) <u>पेनल्टी संबंधी उपबन्ध</u>

(5.1) विश्लेषण पश्चात अमानक पाये जाने पर संबंधित जिले मे अमानक बैच के सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शनों के अनुदान का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं एफसीओ, 1985 के तहत संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल मे लाई जावेंगी।

(6) <u>अनुदान/सहायता</u>

विवरण	आरकेवीवाई प्रदर्शन (समस्त फसलें)	एनएफएसएम–गेहूं व दलहन
क्षेत्रफल	0.4 हैक्टेयर (एकड)प्रति प्रर्दशन	अधिकतम 2.0 हैक्टेयर
सहायता/ अनुदान	कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 रूपए प्रति एकड, जो भी कम हो।	कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रूपए प्रति हैक्टेयर, जो भी कम हो।

31.5.17

(डॉ.आर.जी.शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)

परिशिष्ठ–1

प्रपत्र–अ

सूक्ष्म पोषक तत्व सहायता/प्रदर्शनों पंजीकरण रजिस्टर

क. सं.	कृषक का नाम	वर्ग – अजजा /अजा	खातेदार का नाम	गांव	फसल	क्षेत्रफल	सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक का नाम व मात्रा		हस्ताक्षर कृषक	बैंक खाता संख्या मय ब्रांच का नाम	आई. एफ. एस.सी कोड नं.	अनुदान राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रपत्र–ब

सूक्ष्म पोषक तत्व सहायता दावा प्रपत्र

उप निदेशक कृषि (विस्तार)/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार

जिला ....

1. प्रमुख सहकारी समिति का नाम ....
2. योजना का नाम ....

क. स.	कृषक नाम मय पिता	ग्राम/तहसील/जिला	सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक का नाम	निर्माता का नाम बैच न0	मात्रा	अनुदान राशि		
						विक्रय दर – रू0/ कि0ग्रा0	कुल मूल्य	अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6		9	10

संलग्नः– प्रत्येक कृषक का मूल आवेदन पत्र एवं मूल बिल की प्रति

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मानचित्र में वर्णित की सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक की मात्रा वास्तविक रूप से सही है।

हस्ताक्षर

सहकारी समिति

प्रपत्र–स

योजनावार फसलवार सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शनों के समेकित परिणाम रबी/खरीफ .... नाम जिला ....

क. सं0	फसले	आयोजित प्रदर्शन क्षेत्र(हैक0)	लाभान्वित कृषक सं0	उपज (किग्रा/है)					
				प्रदर्शन प्लाट			कंट्रोल प्लाट		
				अधिकतम	न्यूनतम	औसत	अधिकतम	न्यूनतम	औसत
1									

परिशिष्ठ–द

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद ....

अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन हेतु अनुशंषा

कृषक श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नि श्री .... कृषक श्रेणी (सामान्य/अनु. जाति/अनु. जन जाति) निवासी गांव .... कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र .... सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र .... को **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) –गेहूं/दलहन** में सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन के तहत उर्वरक का नाम ....क्षेत्रफल (हैक्टेयर में).. मात्रा (किलोग्राम में)..................................अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत **आपूर्तिकर्ता** संस्था केवीएसएस/जीएसएस .... से उर्वरक की कुल कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 500 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान पर उपलब्ध करवाने की अनुशंषा की जाती है। शेष कृषक हिस्सा राशि कृषक से वसूल की जावें। यह अनुशंषा आज दिनांक..................को जारी की जाती है तथा **जारी तिथि से 15 दिवस तक मान्य** होगी।

कृषक बैंक खाता विवरण निम्नानुसार हैः–

कृषक का नाम व पता	आधार संख्या	बैंक खाता संख्या	बैंक ब्रांच का नाम	आई.एफ.एस.सी कोड नं.

हस्ताक्षर
कृषक
दिनांक–
कृषक के मोबाईल नम्बर

हस्ताक्षर
कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र ....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कृषक को ....योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि पर उर्वरक का नाम .... बैच नं. .... मात्रा (किलोग्राम में) .... (दर रू. .... प्रति किलो ....) कुल राशि रू....................... बिल न0 .... दिनांक .... के द्वारा निर्धारित अनुदान राशि पर उपलब्ध करवाते हुये शेष कृषक हिस्सा राशि समिति द्वारा वसूल कर ली गई है।

हस्ताक्षर
कृषक
दिनांक–

हस्ताक्षर

नाम अधिकृत विक्रेता/
फर्म का नाम